FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम SDO बायतु

तनसिंह बनाम जीयाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व अपील नं. 215/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/07/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्पसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 123 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/8/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
25/08/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील ... तामील कियाफ। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 22/10/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
22/10/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस ... कियाफ। ... सब गौवों के सभी ... में व्यस्त होने के मिसल इन्तजार ... आगामी दिनांक 22/11/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:08 IST
Reason: SelfAttested

22/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/02/2022 को पेश हो।

16/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 3.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधि-वक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत मिला-जुला आये हुए है खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व कोर आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिससे खेत के मेड़ों को लेकर प्रार्थी व विपक्षी-गणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत के मेड़ों का सही ज्ञान करने हेतु नयाबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नयाबन्दी निवेदन स्वीकार किया जाकर नयाबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नयाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त [illegible] किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ [illegible] भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के [illegible] नयाबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली अमल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 01 दिनांकः– 16/02/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. तनसिंह पुत्र दौलतसिंह वगैरा जाति राजपूत, निवासी चौखला पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. जीयाराम पुत्र दीपाराम वगैरा 18 जाति जाट, निवासी चौखला पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 215 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – करणपुर, पटवार मण्डल – ~~चौहटन~~ जैरला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 174, 176 रकबा क्रमशः 13.1624, 2.5645 हैक्टयर एवं मौजा – चौखला, पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 209, 310, 313, 315 रकबा क्रमशः 0.3074, 0.0324, 10.5332, 0.7119 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 02-06 दिनांकः 16/02/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तनसिंह पुत्र दौलतसिंह वगैरा
4. विप्रार्थी श्री जीयाराम पुत्र दीपाराम वगैरा 18
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु